रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6] नई दिल्ली, सोमवार, मई 18, 2009/वैशाख 28, 1931
No. 6] NEW DELHI, MONDAY, MAY 18, 2009/VAISAKHA 28, 1931

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 2009

का.नि.आ. 07(अ).—केन्द्रीय सरकार, सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 (2007 का 55) की धारा 41 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के साथ पठित धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सशस्त्र बल अधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) नियम, 2009 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 (2007 का 55) अभिप्रेत है;

(ख) "अधिकरण" से अधिनियम की धारा 4 के अधीन स्थापित सशस्त्र बन अधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) "अध्यक्ष" से अधिनियम की धारा 7(1) के अधीन नियुक्त अधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(घ) "सदस्य" से अधिनियम की धारा 7(1) के अधीन नियुक्त अधिकरण का सदस्य (चाहे न्यायिक हो या प्रशासनिक) अभिप्रेत है;

(ङ) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं क्रमश: वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं ।

3. सशस्त्र बल अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते, छुट्टी, पेंशन, भविष्य निधि, यात्रा भत्ता, छुट्टी यात्रा रियायत, आवास आदि.—1(क) जब उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है, तब वह ऐसे वेतन, भत्ते और अन्य परिलब्धियों का हकदार होगा जो उच्चतम न्यायालय के आसीन न्यायाधीश को उपलब्ध हैं और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 (1958 का 51) में यथाउपबंधित हैं तथा ये यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित समय-समय पर यथासंशोधित इन नियमों के अधीन बनाए गए नियमों सहित लागू होंगे । अध्यक्ष जब देश के भीतर न्यायपीठों के सरकारी दौरे पर हों तब वह अपने पति या अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाने के लिए हकदार होंगे ।

(ख) जब उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है तब वह ऐसे वेतन, भत्ते और अन्य परिलब्धियों का हकदार होगा जो उच्च न्यायालय के आसीन मुख्य न्यायाधीश को उपलब्ध हैं और उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 (1954 का 28) में उपबंधित हैं तथा ये यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित समय-समय पर यथासंशोधित इन नियमों के अधीन बनाए गए नियमों सहित लागू होंगे :

परन्तु उस दशा में जब उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश पेंशन, उपदान,

नियोजक का अंशदायी भविष्य निधि में अभिदान या सेवानिवृत्ति फायदे के किसी अन्य रूप में कोई सेवानिवृत्ति फायदा प्राप्त कर रहा है या प्राप्त किया है या प्राप्त करने के लिए हकदार हो गया है तब ऐसे अध्यक्ष के वेतन में से पेंशन या नियोजक की अंशदायी भविष्य निधि में अभिदान या किसी अन्य रूप में सेवानिवृत्ति फायदे की सकल रकम यदि कोई हो (सेवानिवृत्ति उपदान के बराबर पेंशन के सिवाय) को घटा दिया जाएगा, जो उसने आहरणित की है या उसके द्वारा आहरणित की जानी है ।

(ग) जब किसी उच्च न्यायालय का कोई सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश अधिकरण के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है या जब तीनों सेवाओं में से कोई व्यक्ति अधिकरण के प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है तब वह ऐसे वेतन, भत्ते और अन्य परिलब्धियों का हकदार होगा जो उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश को उपलब्ध हैं और उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 (1954 का 28), में उपबंधित हैं और ये आवश्यक परिवर्तनों सहित इसके अधीन बनाए गए समय-समय पर यथासंशोधित नियमों सहित लागू होंगे :

परन्तु उस दशा में जब उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या तीनों सेवाओं से कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश पेंशन, उपदान, नियोजक का अंशदायी भविष्य निधि में अभिदान या सेवानिवृत्ति फायदे के किसी अन्य रूप में कोई सेवानिवृत्ति फायदा प्राप्त कर रहा है या प्राप्त किया है या प्राप्त करने के लिए हकदार हो गया है तब ऐसे सदस्य के वेतन में से पेंशन या नियोजक की अंशदायी भविष्य निधि में अभिदान या किसी अन्य रूप में सेवानिवृत्ति फायदे की सकल रकम यदि कोई हो (सेवानिवृत्ति उपदान के बराबर पेंशन के सिवाय) को घटा दिया जाएगा, जो उसने आहरणित की है या उसके द्वारा आहरणित की जानी है ।

4. अवशिष्ट उपबंध.—अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्यों के निबंधन और सेवा शर्तों से संबंधित विषय जिनकी बाबत इन नियमों में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है वे समय-समय पर भारत सरकार के सचिव को लागू नियमों और आदेशों द्वारा अवधारित किए जाएंगे ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—केन्द्रीय सरकार को व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग की बाबत इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल करने की शक्ति होगी ।

[फा. सं. 1(4)/2008-डी (एएफटी सेल)]

अजय तिर्की, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th May, 2009

S.R.O. 07(E).—In exercise of the powers conferred by Section 10 read with clause (c) of sub-section (2) of Section 41 of the Armed Forces Tribunal Act, 2007 (55 of 2007), the Central Government hereby makes the following Rules, namely :—

1. Short title and commencement. — (1) These Rules may be called the Armed Forces Tribunal (Salaries, Allowances and Conditions of Service of Chairperson and Members) Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. — In these Rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Armed Forces Tribunal Act, 2007, (55 of 2007);

(b) "Tribunal" means the Armed Forces Tribunal established under Section 4 of the Act;

(c) "Chairperson" means the Chairperson of the Tribunal appointed under Section 7(1) of the Act;

(d) "Member" means a member (whether Judicial or Administrative) of the Tribunal appointed under Section 7(1) of the Act;

(e) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Pay and Allowances, Leave, Pension, Provident Fund, Travelling Allowance, Leave Travel Concession, Accommodation etc. to the Chairperson and Members of the Armed Forces Tribunal.—1 (a) When a Retired Judge of the Supreme Court is appointed as Chairperson of the Tribunal, he shall be entitled to salary, allowances and other perquisites as are available to the sitting Judge of the Supreme Court, and as provided in the Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Services) Act, 1958 (51 of 1958), and these shall apply *mutatis mutandis* alongwith rules made thereunder as amended from time to time. The Chairperson shall be entitled to take his spouse with him while travelling within the country while on official visit to Benches.

(b) When a Retired Chief Justice of a High Court is appointed as Chairperson of the Tribunal, he shall be entitled to salary, allowances and other perquisites as are available to the sitting Chief Justice of a High Court and as provided in the

High Court Judges (Salaries and Conditions of Services), Act 1954 (28 of 1954), and these shall apply *mutatis mutandis* alongwith rules made thereunder as amended from time to time :

Provided that in case the Retired Judge of the Supreme Court or the Retired Chief Justice of a High Court, is in receipt of, or has received or has become entitled to receive any retirement benefits by way of pension, gratuity, employer's contribution to the Contributory Provident Fund or other forms of retirement benefits, the pay of such Chairperson shall be reduced by the gross amount of pension or employer's contribution to the Contributory Provident Fund or any other form of retirement benefits, if any (except pension equivalent of retirement gratuity), drawn or to be drawn by him.

(c) When a serving or retired Judge of a High Court is appointed as Judicial Member of the Tribunal or when any person from the three services is appointed as Administrative Member of the Tribunal, he shall be entitled to salary, allowances and other perquisites as are available to the sitting Judge of a High Court and as provided in the High Court Judges (Salaries and Conditions of Services) Act, 1954 (28 of 1954) and these shall apply *mutatis mutandis* alongwith rules made thereunder as amended from time to time :

Provided that in case the retired Judge of a High Court or a person from the three services, is in receipt of, or has received or has become entitled to receive any retirement benefits by way of pension, gratuity, employer's contribution to the Contributory Provident Fund or other forms of retirement benefits, the pay of such Member shall be reduced by the gross amount of pension or employer's contribution to the Contributory Provident Fund or any other form of retirement benefits, if any (except pension equivalent of retirement gratuity), drawn or to be drawn by him.

4. Residuary Provision. — Matters relating to the terms and conditions of service of the Chairperson or Members of the Tribunal with respect to which no express provision has been made in these rules, shall be determined by the rules and orders for the time being applicable to a Secretary to the Government of India.

5. Powers to relax rules. — The Central Government shall have power to relax any provision of these rules in respect of any class or category of persons.

[F. No. 1 (4)/2008-D (AFT Cell)]

AJAY TIRKEY, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.